335

M

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE
COURT FEE दो रुपये TWO RUPEES
COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

C-FP3151

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /08 निगरानी माल

R. 1313-II/08

1- केदार प्रसाद शर्मा पुत्र रामदयाल आयु 82 साल धंधा खेती जाति ब्राहम्ण निवासी - ग्राम खेरा, परगनामेहगांव जिला भिण्ड.

-- निगरानीकर्ता

श्री एम. पी. भटनागर एडवोकेट द्वारा आज दि. 21-10-08 को प्रस्तुत।

बनाम

बृजनारायण पुत्र कालीचरन जाति ब्राहम्मण आयु 40 साल व्यवसाय खेती निवासी - ग्राम खेरी, परगना मेहगांव जिलाभिण्ड म.प्र.

- रेस्पोडेन्ट

निगरानी विरुद्ध विरुद्ध एस., डी. ओ. मेहगांव के प्रकरण क्रमांक 5/06-07 /अ-11 पारित आदेश दिनांक 8.9.2008 से दुखित होकर अन्तर्गत धारा 50 म.प्र भू राजस्व संहिता 1959

श्रीमानजी,

सेवा मे निगरानी कर्ता की निगरानी निम्न तथ्योव आधारो पर प्रस्तुत है:-

निगरानी के तथ्य=

1- यह कि, नोन निगरानी कर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय वृत्त मेहगाव के समक्ष दिनांक 20.8.2008 को पेश कर कहाकि मेरे कूल भूमि क्रमांक 119,130 की सीमांकन दिनांक 12.7.2007 को कराया था और मौके पर सीमा चिन्ह अंकित

XXIX(a)-BR(H)-11

335

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1313-दो/08 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१५ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	